

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार,
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

पटना-15, दिनांक-

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष-2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-02-101-0010-वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि को संशोधित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 50/आ0प्र0 दिनांक 17.01.14 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त पत्र के द्वारा गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-02-101-0010-वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि के विरुद्ध प्रत्यर्पित की गई राशि के आलोक में आवंटन को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

(राशि रूपये में)

क्र0	गैर योजना बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2013-14 में अद्यतन आवंटित राशि	पत्रांक 50/ आ0प्र0 दिनांक 17.01.2014 द्वारा प्रत्यर्पित की गई राशि	प्रत्यर्पण के पश्चात् शेष राशि
1	2	3	4	5
1	2245-02-101-0010-वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान	29,50,000	11,00,000	18,50,000

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-02-101-0010-वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि को संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
(अनिरुद्ध कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक -...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: आप्त सचिव, माननीया मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आवंटन की 5 (पाँच) प्रति कार्यवाह सहायक को उपलब्ध करा दी जाय।

ह0/-

अपर सचिव